



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22012021-224631  
CG-DL-W-22012021-224631

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 02] नई दिल्ली, जनवरी 10, —जनवरी 16, 2021, शनिवार / पौष 20 — पौष 26, 1942  
No. 02] NEW DELHI, JANUARY 10, — JANUARY 16, 2021, SATURDAY/PAUSHA 20 - PAUSHA 26, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 02.— केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और असम राइफल्स, (समूह 'ग' योद्धक) पद भर्ती नियम, 2000 जहां तक हवलदार (ऑपरेटर रेडियो और लाइन) और राइफलमैन (ऑपरेटर रेडियो और लाइन) के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स में हवलदार (ऑपरेटर रेडियो एवं लाइन) पद पर भर्ती की पद्धति विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय असम राइफल्स, हवलदार (ऑपरेटर रेडियो और लाइन) योद्धक पद भर्ती नियम, 2020 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उसके वेतन मैट्रिक्स का स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. — कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सा स्वस्थता.—(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केवल ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग "शेप-1" में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति पर नियुक्ति के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए 'शेप-1' से तात्पर्य चिकित्सा श्रेणी को निम्न प्रकार परिभाषित किया है :-

(क) ऐसे कोड अक्षर शेप द्वारा जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की योग्यता सुनिश्चित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अभिप्रेत है :-

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेज)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि शक्ति

(ख) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता निर्दिष्ट है जो प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 तक की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे, सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में हैं, वहां उसका प्रवर्ग एस, एच, ए, पी, ई, लिखने की बजाय शेप-1 लिख कर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

हवलदार (ऑपरटर रेडियो एवं लाइन)

(क) किसी भी स्थान पर सभी तरह के कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु ऊँचे स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(ग) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य, परन्तु कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों की श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

6. शिथिल शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछले वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित पद अथवा अचयनित पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हवलदार (ऑपरेटर रेडियो एवं लाइन)	2776* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 रूपये 25500/- रूपये 81100/-	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों एवं अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णय तिथि प्रार्थनापत्र प्राप्त होने की समापन तारीख मानी जाएगी और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहाउल एवं स्पिति जिला एवं हिमांचल प्रदेश के चंबा जिले का उप डिवीजन अंडमान निकोबार द्वीप, लद्दाख एवं लक्षद्वीप के केन्द्र प्रशासित राज्यों के लिए निर्धारित की गई समापन तिथि नहीं होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प्रणाली - सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य और रेडियो एवं टेलीविजन अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक में या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्ष का डिप्लोमा, अथवा (ii) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अध्ययन के विषय के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के साथ के रूप में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य। (ख) शारीरिक मानक : (i) उँचाई : 170 सें.मी. (ii) सीना : 80 सें.मी. बिना	लागू नहीं	दो वर्ष	(क) सीधी भर्ती द्वारा सत्तर प्रतिशत (ख) वेतन ग्रेड रू 21700-69100 के स्तर 3 में समूह 'ग' के कर्मचारिवर्ग से बीस प्रतिशत रिक्तियां भरी जाएगी ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण एवं समकक्ष हों और मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन एवं इलेक्ट्रॉनिक में दो वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के साथ अध्ययन के विषय के रूप में 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष और विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित

<p>फुलाए हुए और न्यूनतम 85 से. मी. फुलाव के बाद।</p> <p>(iii) वजन : आयु और ऊँचाई के अनुसार।</p> <p>(ग) चिकित्सा मानक :</p> <p>(i) नेत्र दृष्टि: न्यूनतम दूरी 6/6 और 6/9 दोनों नेत्रों से बगैर शोधन के (अर्थात् बगैर चश्मा लगाये)</p> <p>(ii) अभ्यर्थी के घुटने नीचे मुड़े हुए, समतल पैर, फूली हुई नसें अथवा तिरछी नजर वाले नेत्र नहीं होनी चाहिए और उनकी दृष्टि क्षमता तीव्र होनी चाहिए उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और उनके ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह के शारीरिक दोष प्रकट होने की आशंका न हो।</p> <p>(घ) शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा अर्हित करना अनिवार्य है।</p> <p>(ङ) शिथिलनीय : जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए निम्नानुसार ऊँचाई और सीने में शिथिलनीय दी जा सकती है:—</p> <p>ऊँचाई: गढ़वाल, कुमांऊ, हिमाचल प्रदेश गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 169 से.मी. होगी और महिलाओं के लिए 150 से.मी. होगी।</p> <p>सीना: जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए केवल सीने में शिथिल दी जा सकती है। इस श्रेणी के कार्मिक का न्यूनतम सीना निम्नानुसार रहेगा :—</p> <p>(i) उपर विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए सीना: 78—83 सें.मी.</p> <p>(ii) उपर विनिर्दिष्ट सभी राज्य अथवा संघ राज्यों के जनजातीय लोगों के लिए सीना: सें.मी.</p> <p>आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भर्ती में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की नियत की गई तारीख होगी न कि अंतिम तारीख असम, मेघालय, अरुणचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा, सिक्किम, लेहाजस्पीति और तथा के उपर संघ राज्य दर्जों के अंडमान और निकोबारद्वीप, लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निहित की गई हैं।</p>			<p>सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण :— परीक्षा की पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।</p> <p>(ग) स्तंभ संख्या 7 में विहित की गई अर्हताएं पूरी करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन द्वारा 10 प्रतिशत।</p>
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, जिस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बैठती है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
जैसा कि स्तंभ (10) में उल्लेख है।	<p>‘ग’ समूह के विभागीय पुस्तिकरण समिति (पुस्तिकरण पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स – अध्यक्ष</p> <p>2. स्टाफ ऑफिसर –1 (प्रशासन), असम राइफल्स – सदस्य</p> <p>3. तकनीकी ऑफिसर, असम राइफल्स – सदस्य</p> <p>4. असम राइफल्स के ब्रिगेडियर (कार्मिक), द्वारा नामोर्दिष्ट कोई कनिष्ठ कमीशंड ऑफिसर – सदस्य</p>	लागू नहीं

[फा. सं. ए/पर्स/आरआरएस/एचएवी(ओआरएल)/2015]

डी वी यादव, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

New Delhi, the 5th January, 2021

**G.S.R. 02.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act 2006, (47 of 2006), and in supersession of the Assam Rifles (Group ‘C’ Combatised posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Havildar (Operator Radio and Line) and Rifleman (Operator Radio and Line), except as respects to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Havildar (Operator Radio and Line), in the Assam Rifles under the Ministry of Home Affairs, namely :-

**1. Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assam Rifles Havildar (Operator Radio and Line), Combatised post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment to the post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.—**No person, –

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Medical Fitness.—**(1) Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment or promotion under the provisions of these rules.

Explanation. - For the purpose of this rule, “SHAPE- I” means Medical Category defined as under:-

(i) medical classification done by the Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:-

S	-	Psychological
H	-	Hearing
A	-	Appendages
P	-	Physical Capacity
E	-	Eye-Sight;

(ii) functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals shall be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S<sub>1</sub>H<sub>1</sub>A<sub>1</sub>P<sub>1</sub>E<sub>1</sub>. General evaluation of these numerals is as under:-

Havildar (Operator Radio and Line),

- (a) fit for all duties anywhere;
- (b) fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes;
- (c) excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments;
- (d) temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave;
- (e) permanently unfit for duties.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Havildar (Operator Radio and Line).	2776* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial, Combatised).	Level 4 in the pay matrix Rs 25500/- Rs 81100/-.	Not applicable.	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of the applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>a) (i) Matriculation pass or equivalent from a recognised Board and two years Industrial Training Institute in Radio and Television or Electronics from a recognised Institute ; or</p> <p>(ii) 12<sup>th</sup> class pass or equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics as subjects of study from a recognised Board or University or Institute.</p> <p>(b) Physical Standard:</p> <p>(i) Height - 170 cms.</p> <p>(ii) Chest - 80 cms (Un-expanded) and 85 cms (Expanded).</p> <p>(iii) Weight- According to age and Height.</p> <p>(c) Medical Standard :</p> <p>(i) Eye sight: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing of glasses).</p> <p>(ii) The candidates must not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>(d) Must qualify the physical efficiency and written tests.</p> <p>(e) Relaxation : Relaxation may be permissible in height and chest to the tribals and hill people as follows:-</p> <p>Height- Minimum height for men belonging to hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh. Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Ladakh, Kashmir Valley and North Eastern States will be 165 cms. For females the minimum height will be 155 cms. The</p>	Not applicable	Two years	<p>(a) seventy per cent. by direct recruitment;</p> <p>(b) twenty per cent. of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in level 3 in the pay matrix Rs 21700-69100, failing which by direct recruitment and who possess Matriculation pass or equivalent from a recognised Board and two years Industrial Training Institute certificate in Radio and Television or Electronics or equivalent from a recognized Board or University or Institute or 12<sup>th</sup> class pass or equivalent with Physics, Chemistry and Mathematics as subjects of study from a recognised Board or University or Institute and have rendered five years regular service in the grade on the basis of the departmental qualifying examination.</p> <p><b>Note:</b> The maximum age limit for eligibility for examination is 40 years;</p> <p>(c) ten per cent. by deputation/ re-employment for Ex-servicemen who fulfill the qualifications as prescribed in column No 7.</p>

<p>minimum height for Tribals will be 162.5 cms for males and 150 cms for females.</p> <p>Chest - Relaxation in chest is applicable to only tribals and hill people. The minimum chest for the category of personnel is as under:-</p> <p>(i) Men belonging to hill area : 78-83 cms specified as above.</p> <p>(ii) Tribals of all States or Union Territories: 76-81 cms specified as above.</p>			
--	--	--	--

In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
As stated in column (10)	<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of -</b></p> <p>1. Colonel (Records), Assam Rifles – Chairman;</p> <p>2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles – Member;</p> <p>3. Technical Officer, Assam Rifles – Member;</p> <p>4. Any Junior Commissioned Officer of Assam Rifles – Member.</p>	Not applicable

[F. No. A/Pers/RRs/Hav(ORL)/2015]

D V YADAV, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

**सा.का.नि. 03.**— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) योद्धक अराजपत्रित समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) (योद्धक, अराजपत्रित समूह 'ख' पद ) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:—वह व्यक्ति—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:



परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता:**— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष—। में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

‘शेष—। से यथा नीचे परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:—

(i) कोड अक्षर शेष जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण:—

एस— मनोवैज्ञानिक

एच— श्रवण शक्ति

ए — उपांग (अपैन्डेजेस)

पी — शारीरिक क्षमता

ई — दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी—। में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाए शेष—। लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:—

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या कानों—आँखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(3) “एस” कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

6. **अन्यदेशीय अपात्रता** :— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित रूप में संज्ञापित केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति, नामांकन और नियोजन पर विवर्जित नहीं किया जाएगा।

7. **अधिवर्षिता:**— (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस माह के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु पूर्ण करता है, अन्तिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा:

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी माह की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्ववर्ती माह के अन्तिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी व्यक्ति को साठ वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

8. **शिथिल करने की शक्ति** .— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **व्यावृत्ति** .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, अन्य सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स के स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष)	02 (2020)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-7 (44900-142400 रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	<p>30 वर्ष से अधिक न हो</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की शिथिलता।)</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>	<p><b>आवश्यक:-</b></p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री।</p> <p><b>अनुभव:</b></p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी स्वायत्त या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शिक्षण संस्थान से पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।</p> <p><b>शारीरिक मानदंड :-</b></p> <p>पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)</p> <p>लंबाई : 167.5 से0मी0</p> <p>सीना : 81 से0मी0, (फुलाने के बाद 86 से0मी0)</p> <p>वजन : लंबाई के अनुपात में</p> <p><b>टिप्पणी :</b></p> <p>लंबाई के मामले में न्यूनतम मानक में :</p> <p>(i) गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा और मराठा जैसी मार्शल परम्पराओं वाले अभ्यर्थियों के मामले में 167.5 से.मी की बजाए 165 से.मी. तक की छूट।</p> <p>(ii) आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए 167.5 से.मी की बजाए 165 से.मी. तक की छूट।</p> <p>(iii) सीना के मामले में न्यूनतम मानक में आदिवासियों के अभ्यर्थियों को 81 से0मी0 की बजाए 77 से0 मी0 और फुलाने के बाद 86 से0मी0 की बजाए 82 से0मी0 तक की छूट।</p> <p>(ख) (महिला अभ्यर्थियों के लिए)</p> <p>लंबाई : 157 से0मी0,</p>

		<p>सीना : लागू नहीं</p> <p>वजन : लंबाई के अनुसार</p> <p><b>शिथिलता:</b></p> <p>गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह व लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए— 155 से.मी.।</p> <p>मिजो और नागाओं सहित आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए— 154 से.मी.।</p> <p>3. चिकित्सा मानक</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">निकट दृष्टि</th> <th colspan="2">दूर दृष्टि</th> <th>अपवर्तन</th> <th>टिप्पणी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अच्छी आँख</td> <td>खराब आँख</td> <td>अच्छी आँख</td> <td>खराब आँख</td> <td>किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहाँ तक कि चश्मे के द्वारा भी स्वीकार्य नहीं होगा</td> <td>दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आँख बेहतर होनी चाहिए और इसके विपरीत द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है</td> </tr> <tr> <td>एन6</td> <td>एन9</td> <td>6/6</td> <td>6/9</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(ख) अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी दृष्टि इशहरा के द्वारा सीपी—।।। होनी चाहिए। वे मानसिक व शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p>	निकट दृष्टि		दूर दृष्टि		अपवर्तन	टिप्पणी	अच्छी आँख	खराब आँख	अच्छी आँख	खराब आँख	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहाँ तक कि चश्मे के द्वारा भी स्वीकार्य नहीं होगा	दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आँख बेहतर होनी चाहिए और इसके विपरीत द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है	एन6	एन9	6/6	6/9		
निकट दृष्टि		दूर दृष्टि		अपवर्तन	टिप्पणी															
अच्छी आँख	खराब आँख	अच्छी आँख	खराब आँख	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहाँ तक कि चश्मे के द्वारा भी स्वीकार्य नहीं होगा	दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आँख बेहतर होनी चाहिए और इसके विपरीत द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है															
एन6	एन9	6/6	6/9																	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> — भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती के माध्यम से

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11
<b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर— 6 में 35400—112400 रु० या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और  
(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ रखते हों।  
**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।  
**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
पुष्टीकरण पर विचार के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति की संरचना:	लागू नहीं होता
1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष	
2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य	
3. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य	
4. कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य	

[फा.सं. सी-17/04/2019- गोपनीय-आर आर एस /सी सु बल]

डी वी यादव, अवर सचिव (कार्मिक- III)

New Delhi, the 12th January, 2021

**G.S.R. 03.**— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub- section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), and in supersession of the Border Security Force Inspector (Librarian) (Combatized, Non-Gazetted, Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2012 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Librarian) in the Border Security Force, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Border Security Force Inspector (Librarian) (Combatized, Non-Gazetted, Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:  
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Medical Fitness.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

SHAPE-I means Medical Category defined as under:-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following functions:-

- S - Psychological
- H - Hearing
- A - Appendages
- P - Physical Capacity
- E - Eye-Sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S<sub>1</sub>H<sub>1</sub>A<sub>1</sub>P<sub>1</sub>E<sub>1</sub>. General evaluation of these numerals is as under:-

1. Fit for all duties anywhere.
2. Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes.
3. Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.
4. Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.
5. Permanently unfit for duties.

6. **Ineligibility of aliens.**—No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government, signified in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrollment or employment of a subject of a Nepal and Bhutan under these rules.

7. **Superannuation.**— (1) A person appointed under the provisions of these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years.

8. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons, to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

9. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Inspector (Librarian).	* 02 (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-7 ( Rs. 44900- 142400).

Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits																			
(5)	(6)	(7)																			
Not applicable.	<p>Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar and Union territory of Lakshdeep.</p>	<p><b>Essential:</b> Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute.</p> <p><b>Experience:</b> Two years' professional experience in a library under the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research or educational institution.</p> <p><b>Desirable:</b> (i) Master Degree in Library Science or library and Information Science from a recognised University or Institute. (ii) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute.</p> <p>Physical standards:- (a) For Male Candidate Height : 167.5 cms Chest : 81 cms (86 cms after expansion) Weight: Corresponding to Height.</p> <p><b>Note :</b> The minimum standards in so far as it relates to height may be:- (i) relaxed from 167.5 cms to 165 cms in the case of those having martial traditions such as Gorkhas, Garhwalies, Kumaonis, Dogras and Marathas; (ii) relaxed from 167.5 cms to 165 cms for Adivasis; (iii) the minimum standard in so far as it relates to chest measurements may be relaxed from 81 cms and expanded 86 cms to 77 cms and expanded 82 cms for Adivasis.</p> <p>(b) For Female Candidate <b>Height</b> : 157 Cms <b>Chest</b> : Not applicable <b>Weight</b> : Corresponding to Height.</p> <p><b>Relaxation:</b> For candidates belonging to Hill area of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Laddakh, Kashmir Valley and North Eastern States: - 155 Cms For Tribals or Adivasis including Mizos and Nagas: - 154 Cms.</p> <p>3. Medical Standard</p> <table border="1" data-bbox="831 1861 1450 2080"> <thead> <tr> <th colspan="2">Near Vision</th> <th colspan="2">Distant vision</th> <th rowspan="2">Refraction</th> <th rowspan="2">Remarks</th> </tr> <tr> <th>Better eye</th> <th>Worse eye</th> <th>Better eye</th> <th>Worse eye</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N 6</td> <td>N 9</td> <td>6/6</td> <td>6/9</td> <td>Visual correction of any kind is not permitted</td> <td>In right handed person, the right eye is better</td> </tr> </tbody> </table>				Near Vision		Distant vision		Refraction	Remarks	Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye	N 6	N 9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted	In right handed person, the right eye is better
Near Vision		Distant vision		Refraction	Remarks																
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye																		
N 6	N 9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted	In right handed person, the right eye is better																

					even by glasses	eye and vice versa Binocular vision is required
b) The candidate must not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess <b>CP-III BY ISIHARA</b> . They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.						

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation/absorption failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
<p><b>By Deputation/ absorption:</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level-6 of the pay matrix Rs. 35400-112400/- or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for Considering Confirmation consisting of:-</b></p> <p>1. Inspector General, Border Security Force - Chairman;</p> <p>2. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member;</p> <p>3. Deputy .Inspector General, Border Security Force - Member;</p> <p>4. Commandant, Border Security Force - Member.</p>	Not applicable.

**वित्त मंत्रालय**

**(व्यय विभाग)**

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2021

**सा.का.नि. 04.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (सिविल), (वर्ग - 3 और वर्ग - 4 पद) भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक उसका संबंध स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद संख्या, उसका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की

है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1* (2020) * कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',	स्तर - 6 (35400- 112400 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता



	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित, अननुसचिवीय			
--	-----------------------------------	------------------------	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ; भर्ती सीधी होगी, या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक के स्तर-5 (रु.29200 – 92300) में व्यय विभाग में स्टाफ कार चालक श्रेणी I में कार्यरत ऐसे स्टाफ कार चालक जिन्होंने इस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण:-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)</b></p> <p><b>जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), व्यय विभाग - अध्यक्ष</li> <li>(2) उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), राजस्व विभाग - सदस्य</li> <li>(3) उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Expenditure)**

New Delhi, the 11th January, 2021

**G.S.R. 04.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Expenditure (Civil), (Class-III and Class - IV posts) Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the post of Staff Car Driver Special Grade, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Staff Car Driver (Special Grade) in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Staff Car Driver (Special Grade) (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level - 6 (Rs.35400-112400)	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Staff Car Drivers working in the grade of Staff Car Driver Grade I in the Department of Expenditure in Level-5 (Rs.29200-92300/-) of pay matrix having three years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p><b>Group- 'B' Departmental Promotion/ Confirmation Committee for considering promotions / confirmation consisting of:</b></p> <p>(1) Deputy Secretary or Director(Administration) Department of Expenditure - Chairman</p> <p>(2) Deputy Secretary or Director (Administration) Department of Revenue - Member</p> <p>(3) Deputy Secretary or Director (Administration) Department of Economic Affairs - Member</p>	Not applicable

[F. No. A.12018/03/2019-Ad.II]

P. ANGELS, Under Secy.